251

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :–प.10(724)परि / स.सु / स.सु.कोष / 2015 14632 जयपुर, दिनांक 23/10/17

कार्यालय आदेश-34/17 शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश (8/2017) क्रमांक प.10(724)परि/स.सु/स.सु. कोष/2015 दिनांक 03.04.2017 द्वारा **"समर्पित सड़क सुरक्षा कोष निर्देश 2017"** जारी किये गये थे, जिसमें वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. उक्त जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

   "**प्रभावशीलता** :– यह दिशा निर्देश जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।"

2. दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 11, को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

   "**11. कोष का लेखा:–**

   समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के गठन हेतु लोक निधि खाता, बजट शीर्ष 8229 विकास तथा कल्याण निधि 200– अन्य विकास तथा कल्याण निधि (12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि [1] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि के अन्तर्गत खोला जायेगा तथा इस कोष में निम्नांकित बजट मद से राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।

   3055 – सड़क परिवहन
   797 – आरक्षित निधियाँ/जमा लेखो का अन्तरण
   (01) – समर्पित सड़क सुरक्षा निधि
   [01] – समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अन्तरण
   82 – निधि को अन्तरण (राज्य निधि)"

3. दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 12 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

   "1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ (अप्रेल माह) में गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम/नियम के अन्तर्गत संग्रहित प्रशमन एवं जुर्माना राशि की 25 प्रतिशत तक राशि का हस्तान्तरण समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में किया जायेगा।"

   दिशा निर्देशों में वर्णित अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त